बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
आदेश

आदेश संख्या8पवि0–05–07 / 2021..181.../ पटना, दिनांक–15/7/2022

विधि विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या–674 दिनांक–09.08.2021 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 87 की उप धारा (1) में निम्नवत् संशोधन किया गया है:–

"बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव अथवा उससे अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनन्य रूप से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद् के लिए यथा विहित बंधेजो एवं शर्त्तो पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।"

जिला परिषद के लिए पूर्व से उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 88(1) (ड़) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिला परिषद् की निधियों से धन की निकासी एवं संविरतण हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–05–07 / 2021–6604 / पं0रा0 पटना, दिनांक 15/7/2022

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–05–07 / 2021–6604 / पं0रा0 पटना, दिनांक 15/7/2022

प्रतिलिपिः– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–05–07 / 2021–6604 / पं0रा0 पटना, दिनांक 15/7/2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 8प / वि0–05–07 / 2021–6604 / पं0रा0 पटना, दिनांक 15/7/2022

प्रतिलिपिः– लेखा शाखा, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव